ायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 247 / 2023 (2023 / 631)

अनवान

1. रतनलाल पुत्र फतहलाल गुर्जर नि.बनेस्टी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. उस्मान खान पिता गुलबाज खां पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. तनुजा पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. तमन्ना बेगम पत्नी स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. मोहम्मद जुनेद खा पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. मोहम्मद जावेद पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
6. मोहम्मद सईद पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
7. शबनम पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
8. शबाना पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री सम्पत जणवा अधिवक्ता वादी

निर्णय **दिनांक 09.04.2026**

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम बनेस्टी पटवार हल्का चिकसी के खाता संख्या 18 मे वर्णित आराजी नम्बर 343, 344 कुल किता 02 कुल

सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

0.39 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 3/4 एंव प्रतिवादीगण का जमाबन्दी मे अंकन अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादी ने उक्त आराजीयात मोहम्मद फारूख , अयुब खान पठान , साबिर खा पुत्र गुलबाज खा एंव रूकसाना, शकिला, अंकिला पुत्री गुलबाज खां के निहित हक हिस्सा 3/4 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है। क्रय दिनांक से ही वादी उक्त आरजीयात का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटंवाडा के यह वाद पत्र पेश किया है। दिनांक 25.10.2023 को उक्त आराजीयात का बटंवाडा करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देना से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात मौजा बनेस्टी पटवार हल्का चिकसी के खाता संख्या 18 मे वर्णित आराजी 343, 344 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हे. का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से वादीगण का निहित हक हिस्से अनुसार बटंवाडा किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 28.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2026/377 दिनांक 11.03.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से अन्तिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी के कथनो पर मनन किया। वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बनस्टी पटवार हल्का चिकसी तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 81 मे वर्णित आराजी 343, 344 कुल किता 02 रकबा 0. 39 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा
1.	रतनलाल पिता फतहलाल गुर्जर सा.देह खातेदार	343 344 मे से उतरी भाग	0.28 0.0125
	कुल किता	02	0.2925
2.	जुनैद जावेद सईद तनुजा शबाना शबनम पिता मो.शेर खां तमना बेगम पत्नी मो.शेरखा 488/975 उस्मान खान पिता गुलबाज खान पठान सा. 487/975 सावा खातेदार	344 मे से दक्षिणी भाग	0.0975
	कुल किता	1	0.0975

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।

विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. रतनलाल पुत्र फतहलाल गुर्जर नि.बनेस्टी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. उस्मान खान पिता गुलबाज खां पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. तनुजा पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. तमन्ना बेगम पत्नी स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. मोहम्मद जुनेद खा पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. मोहम्मद जावेद पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
6. मोहम्मद सईद पिता स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
7. शबनम पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
8. शबाना पुत्री स्व. मोहम्मद शेर खा पठान नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53—188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 247/2023 (2023/631)

वादी की ओर से वकील श्री सम्पत जणवा की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बनस्टी पटवार हल्का चिकसी तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 81 मे वर्णित आराजी 343, 344 कुल किता 02 रकबा 0.39 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा
	रतनलाल पिता फतहलाल गुर्जर सा.देह खातेदार	343 344 मे से उतरी भाग	0.28 0.0125
	कुल किता	02	0.2925
2.	जुनैद जावेद सईद तनुजा शबाना शबनम पिता मो.शेर खां तमना बेगम पत्नी मो.शेरखा 488/975 उस्मान खान पिता गुलबाज खान पठान सा. 487/975 सावा खातेदार	344 मे से दक्षिणी भाग	0.0975
	कुल किता	1	0.0975

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(दीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

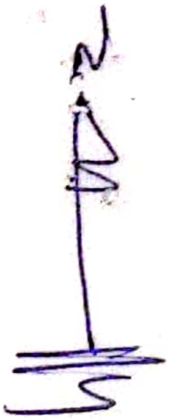

नक्शा केकरोंया – बानी

प०ह० – चिकसी

तहसील – चित्तौड़गढ़

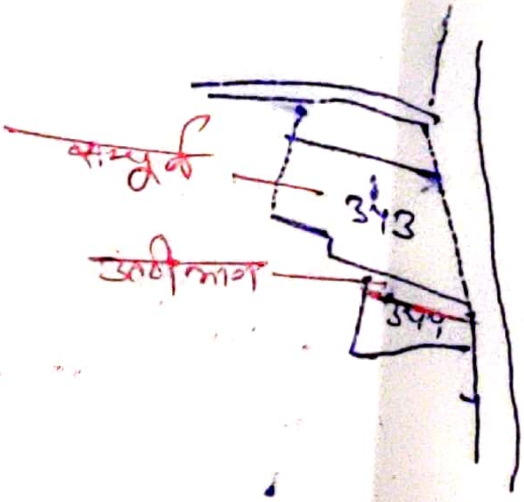

Kavita 22.12.25

कविता बेनीवाल
पटवारी
पटवार मण्डल- चिकसी
तह. व जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल